

14/10/22 पत्रावली वादी अधिवक्ता के ^{मौखिक} निवेदन पर
लोक अदालत में पेश हुई। वादी ने जरिह
वकील वाद को नोट प्रेस में खारिज करने
का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का
अवलोकन किया। पत्रावली का वाद जरिह
वकील नोट प्रेस में खारिज किया जाता है।
पत्रावली केसल शुमार होना नम्बर से
आत हो। कारिबल फरार हो

Not press

Sub

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

